

भारत सरकार  
सहकारिता मंत्रालय  
लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न सं. 2585  
14 दिसम्बर, 2021 को उत्तरार्थ

**विषय: कृषि सहकारी समितियों के लिए नीति तैयार करना**

**2585. श्री रोड़मल नागर:**

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) देश भर में कृषि क्षेत्र में कार्यरत सहकारी समितियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या कितनी है;
- (ख) क्या सरकार का कृषि सहकारी समितियों के लिए कोई नीति तैयार करने का विचार है; और
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**  
**सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह)**

**(क):** प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस) की राज्य-वार सूची **अनुबंध** पर संलग्न है।

**(ख) और (ग):** देश में एक समृद्ध सहकारी विरासत और एक मजबूत सहकारी क्षेत्र है। तथापि, किसी भी क्षेत्र में सार्वजनिक नीति एक गतिशील दस्तावेज है जिसे समय और स्थिति की जरूरतों के आधार पर समय-समय पर संशोधित किया जाता है। सहकारिता मंत्रालय ने तदनुसार एक नई सहकारी नीति विकसित करने के लिए केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, राज्य सरकारों, नाबार्ड और देश भर के प्रमुख सहकारी संस्थानों सहित विभिन्न हितधारकों के साथ परामर्श शुरू किया है ताकि इस क्षेत्र को और मजबूत किया जा सके।

वर्ष 2019-20 के दौरान कुल प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का विवरण

राज्योंसंघ राज्य क्षेत्रों का नाम/	पैक्स की कुल संख्या
1. अंडमान एवं निकोबार	58
2. आंध्र प्रदेश	1992
3. अरुणाचल प्रदेश	34
4. असम	766
5. बिहार	8463
6. चंडीगढ़	17
7. छत्तीसगढ़	1617
8. दिल्ली	0
9. गोआ	78
10. गुजरात	8823
11. हरियाणा	769
12. हिमाचल प्रदेश	2175
13. जम्मू एवं काश्मीर	620
14. झारखंड	0
15. कर्नाटक	5481
16. केरल	1643
17. मध्य प्रदेश	4457
18. महाराष्ट्र	20151
19. मणिपुर	261
20. मेघालय	179
21. मिज़ोरम	153
22. नागालैंड	1719
23. ओडिशा	2701
24. पुडुच्चेरी	53
25. पंजाब	3922
26. राजस्थान	6569
27. सिक्किम	176
28. तमिलनाडु	4525
29. तेलंगाना	799
30. त्रिपुरा	268
31. उत्तर प्रदेश	8929
32. उत्तराखंड	706
33. पश्चिम बंगाल	7405
अखिल भारतीय कुल	95509

\*वर्ष 2019-20 के लिए नैफ्स्कोब द्वारा प्रकाशित